ई–मेल

पत्रांक–10 / न्याय–05(नवादा)–38 / 2020–सा.प्र.–7749 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

विनीता कुमारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 30.4.25

विषयः– निम्नवर्गीय लिपिकों / उच्चवर्गीय लिपिकों को वतेनमान ₹3050–4590 / – के स्थान पर ₹4000–6000 / – की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि वर्ष, 2000 में अस्तित्व में आए निम्नवर्गीय / उच्चवर्गीय लिपिकों को अनुमान्य वेतनमान के संबंध में लगभग एक दशक से अधिक से बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर, न्यायनिर्णित विचाराधीन हैं। वर्ष, 2000 के बाद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा वेतनमान ₹3050–4590 / – के स्थान ₹4000–6000 / – का दावा किया गया। वे लोग, चयन प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सापेक्षता में समानता का दावा करते हैं। आरंभिक चरण में प्रादेश (रिट) अदालत द्वारा कुछ प्रादेश याचियों को राहत प्रदान नहीं की गई, जिसे दो खंड पीठों (डिविजन बेंचेस) द्वारा सम्पुष्ट भी किया गया। तदन्तर, दूसरे खंड पीठ द्वारा पूर्व के दो खंड पीठों के स्तर से दिए गए निर्णय को संज्ञान में लिए बिना ही संबंधित याचियों के पक्ष में वेतनमान ₹4000–6000 / –के हकदार होने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रथम चरण के विवाद से संबंधित याचियों में से एक याची, जिन्हें माननीय न्यायालय से राहत नहीं मिली थी, ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या–3965 / 2017 दायर की। तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए उक्त अपील की अनुमति प्रदान की गयी। सम्प्रति, उक्त अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

इस बीच, माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या–23831/2018 में दिनांक 01.10.2021 को एक समान शक्ति वाली पीठ के विवादास्पद निर्णय को संज्ञान में लेते हुए मामले को वृहत् पीठ के समक्ष विचार हेतु रेफर करने के लिए निदेशित किया गया।

यद्यपि, इस बीच, उत्तरवर्ती खंड पीठ के निर्णय के आलोक में बड़ी संख्या में रिट याचियों को अनुमति प्रदान की गयी, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा परामर्शानुसार एल.पी.ए. दायर किए गए हैं जो विचाराधीन है।तथापि, सिविल अपील के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय के वृहत् पीठ के समक्ष विचाराधीन रहते हुए भी विभिन्न न्यायालयों द्वारा अवमाननावाद के तहत संबंधित याचियों को ₹4000–6000/– का वेतनमान प्रदान करने के आदेश के अनुपालन पर बल दिया जा रहा है।

मामले के निष्पादन हेतु गठित माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के पूर्ण पीठ द्वारा प्रश्नगत विषय पर दिनांक 22.03.2025 को विमर्श किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पीठ द्वारा माना गया कि उक्त पीठ संदर्भित रेफरेन्स की मेंटेनेबिलिटी पर दिनांक 02.05.2025 को निर्णय करेगी। यद्यपि, पूर्ण पीठ ने माना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील और पूर्ण पीठ के समक्ष विचाराधीन रेफरेन्स के आलोक में राज्य संबंधित अवमानना पीठों के समक्ष अवमानना की कार्यवाहियों को स्थगित रखने का अनुरोध करेगा और पूर्ण पीठ द्वारा यह भी कहा गया है कि तथाकथित परिस्थिति को विचार में लिया जाएगा और संबंधित अवमानना पीठ राज्य की ओर से की गयी याचना पर विचार सुनिश्चित करेंगे। दूसरे अर्थों में, ₹4000–6000/– उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने हेतु विभिन्न प्रादेश (रिट) अदालतों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के लिए चल रही अवमानना कार्यवाहियों पर पूर्ण पीठ द्वारा आंशिक रोक लगा दी गयी है।

3. अतएव, अनुरोध है कि विषयाधीन संदर्भ में माननीय न्यायालय से अगले आदेशों के पारित होने तक संबंधित कर्मियों को ₹4000–6000/– का वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जाए।

विश्वासभाजन,

30.4.2025

(विनीता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।